पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31–10–2020

दिनांक 30/31-10-2020 को रात्रि थाना हजरतगंज 01, गोमतीनगर विस्तार 02, आशियाना 01 अभियुक्त गिरफ्तार। **इस प्रकार वांछित में कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।**

डी0सी0पी0 उत्तरी

जुआ खेलते समय गिरफ्तार।

थाना इन्दिरानगरः–दिनांक 30–10–2020 को एस0आई0 श्री धर्मेन्द्र कुमार सोनकर थाना इन्दिरानगर लखनऊ द्वारा अभियुक्त 1–मोइन अहमद पुत्र रईस अहमद निवासी–ठाकुर विहार के सामने फरीदीनगर थाना इन्दिरानगर लखनऊ 2–विजय कुमार पुत्र स्व0 छोटे लाल निवासी–ठाकुर विहार कालोनी फरीदीनगर थाना इदिरानगर लखनऊ को आपस में रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते समय सार्वजनिक स्थान ठाकुर विहार कालोनी के पास सागर टेन्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से मालफड़ में 800/–रूपये, ताश के 52 अद्द पत्ते व जामा तलाशी में 360/–रूपये बरामद कर थाना इन्दिरानगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

डी0सी0पी0 पूर्वी

अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना पाराः–दिनांक 30–10–2020 को थाना पारा द्वारा बताया गया कि दिनांक 17–08–2020 को वादिनी निवासी पारा थाना पारा लखनऊ द्वारा अपने सम्बन्ध में थाना पारा पर धारा 376/384/506/406 भादवि का अभियोग बनाम 01–अरमीत यादव के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा थाना पारा लखनऊ द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दिनांक 30–10–2020 को** एस0आई0 श्री सुरेशचन्द्र मिश्रा थाना पारा लखनऊ द्वारा उपरोक्त अभियोग के नामजद अभियुक्त 01–**अरमीत यादव पुत्र नरेन्द्र कुमार यादव निवासी मो0 रावतान कस्बा थाना कोतवाली जनपद जालौन** को मुखबिर की सूचना पर जनपद जालौन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना पारा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

डी0सी0पी0 उत्तरी।

अभियुक्त गिरफ्तार।

मड़ियाँवः–दिनांक 31–10–2020 को थाना मड़ियाँव द्वारा बताया गया कि दिनांक 20–06–2020 को वादी श्री दुजईराम पुत्र श्री अयोध्या निवासी उत्तरथोक थाना संदना जनपद सीतापुर द्वारा थाना मड़ियाँव पर अपनी पुत्री श्रीमती नीलम उम्र करीब 30 वर्ष के सम्बन्ध में धारा 498ए/304बी भादवि व धारा 03/04 डीपी एक्ट का अभियोग बनाम 1–प्रदीप उर्फ बऊवा (पति) 2–कांशीराम (ससुर) आदि ससुरालीजनों के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था। **जिसकी विवेचना ए0सी0पी0 अलीगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान**

उपरोक्त मुकदमें के नामजद अभियुक्त 1–प्रदीप उर्फ बऊवा (पति) को थाना मड़ियॉंव पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। विवेचना के दौरान आज दिनांक 31–10–2020 को उपरोक्त मुकदमें के नामजद एक अन्य अभियुक्त **1–कां८ाीराम (ससुर) पुत्र स्व0 पंचम निवासी रहीमनगर डुडौली थाना मड़ियॉंव लखनऊ** को मुखबिर की सूचना पर एस0आई0 श्री वि६णुकान्त ७ाुक्ला द्वारा रहीमनगर डुडौली से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्व थाना मड़ियॉंव पर आव८यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>**भा0द0वि0**</u>

<u>**थाना गोमतीनगर**</u>:–दिनांक 31–10–2020 को थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी रंजना वि६ट पत्नी स्व0 श्री अ८ाोक कुमार वि६ट निवासी आवास सं0–304 ड्रीम विला, एल्डिकों ग्रीन गोमतीनगर थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दिया कि दिनांक 29–10–2020 को समय करीब 09.45 बजे प्रातः वादिनी जनपद सुल्तानपुर अपने भाई के घर गयी हुई थी, दिनांक 30–10–2020 को समय करीब 17.00 बजे वादिनी को फोन द्वारा वादिनी के चालक राजकुमार रावत से सूचना मिली कि वादिनी के घर में चोरी हो गयी है, वादिनी को जानकारी हुई कि दिनांक 30.10.2020 को समय करीब 08.30 बजे प्रातः वादिनी की मेट श्रीमती उ६ाा रावत द्वारा पडोसी से वादिनी के घर की चाभी लेकर घर में कार्य करने आयी थी, और काम करके समय करीब 10.00 बजे वापस चली गयी थी, वादिनी के घर में दिनांक 30–10–2020 को समय करीब 10.00 बजे प्रातः से 16.30 बजे के मध्य चोरी हुई है। इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 856/2020 धारा 454/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया। **जिसकी विवेचना एस0आई0 श्री अरूण कुमार मिश्रा मो0नं0 7985807483 थाना गोमतीनगर द्वारा की जा रही है। जिनके द्वारा बताया गया कि वादिनी के घर से सोने चांदी के जेवरात को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिया गया है। वादिनी सेवानिवृत्त प्रोफेसर है।**